न्यायालय सहायककलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द

मुकदमा नम्बर 168/2007 **अनवान** हस्तीमल...... **बनाम** न.० परिषद राजसमन्द

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
9/6/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता उपस्थित। वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि अब वादीगण/प्रार्थीगण उनके सम्पर्क मे नही होकर प्रकरण मे हिदायत पैरवी नही होने से वे आज प्रकरण मे No Instruction plead कर रहे है। इसके पश्चात अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण आदेशिका पर No Instruction plead किया गया, एवं इसके पश्चात प्रकरण मे पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नही हुआ। वादीगण/प्रार्थीगण को आवाजे दिलवाई गई न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित नही हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही चाहते है अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना पत्र के प्रति गम्भीर नही है। अतः वादी/प्रार्थी गण की और से प्रकरण मे पैरवी हेतु किसी के भी उपस्थित नही होने से प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी/अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] **(बृजेश गुप्ता R.A.S.)** **सहायक कलक्टर एवं** **उपखण्ड अधिकारी,** **राजसमंद**	